मध्य प्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
——0——

क्रमांक 1273 / 2002 / दो–ए(3)
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10 मई, 2002

प्रमुख सचिव / सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
—————————— विभाग

विषय:– दूरभाष पर एस.टी.डी. सुविधा स्वीकृत करने बाबत्।
सन्दर्भ– मुख्य सचिव महोदय का आदेश क्रमांक सीएस / जनरल–सी / 100 दिनांक 10.4.2002
——0——

मुख्य सचिव महोदय के संदर्भित आदेश के द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि वल्लभ भवन के विभागों के टेलीफोन का काम [illegible] उन्हीं विभागों को सौंपा जाए एवं प्रत्येक विभाग अपने दूरभाष के लिये स्वीकृत एवं वित्तीय व्यवस्था अपने किसी एक विभागाध्यक्ष के माध्यम से कराएं। इस नयी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप केवल मान.मुख्यमंत्रीजी, मंत्रीगण, मुख्य सचिव महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग एवं गृह विभाग के दूरभाष का कार्य गृह विभाग में रह जाएगा। (प्रतिलिपि संलग्न है।)

सभी सचिव उनके विभाग को दिये गये बजट सीमा के अंतर्गत अपने तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को जहां उपयुक्त समझे दूरभाष में एस.टी.डी. सुविधा स्वीकृत कर सकते है।

अतः निवेदन है कि आप सचिवालय में आपके विभाग में स्थापित दूरभाष पर एस.टी.डी. सुविधा मुख्य सचिव जी के उपरोक्त वर्णित निर्देशों के अनुसार उपलब्ध करवा सकते हैं। किन्तु शर्त यह है कि उक्त दूरभाष का भुगतान आपको अपने विभाग के बजट से ही करना होगा।

कृपया संलग्न प्रपत्र में अपने विभाग के समस्त अधिकारियों को आवंटित टेलीफोन की जानकारी भर कर प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि उस विभाग में संकलित जानकारी संधारित की जा सके।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

10/05/02
(एस. एस. [illegible])
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग

पृ.क्रमांक [illegible] / 2002 / दो–ए(3)
प्रतिलिपि –

भोपाल, दिनांक 10 मई, 2002

[illegible] लिमिटेड, भोपाल से अनुरोध है कि [illegible] की व्यवस्था करें।
[illegible] वल्लभ भवन भोपाल।
[illegible] वल्लभ भवन भोपाल।
की ओर सूचनार्थ एवं आदेश के [illegible] हेतु प्रेषित।

10/05/02
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग